

न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 69/2024(GCMS : 2024/98)


ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय - 4-ई-8, जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हास्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता -पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. सुरेन्द्र पुत्र श्री पन्नाराम निवासी वार्ड नं. 3, गांव सरदारपुरा खरथा, जाखडावाली, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
2. पन्नाराम पुत्र श्री नन्दराम निवासी वार्ड नं. 3, सरदारपुरा खरथा, जण्डवाली तहसील सूरतगढ़ व जिला श्रीगंगानगर
3. प्रेम कुमार पुत्र श्री रूपाराम निवासी वार्ड नं. 1, गांव सरदारपुरा खरथा, जण्डवाली, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

28.05.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता सुरेन्द्र मेहन्दीरत्ता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 06.05.2024 प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण सुरेन्द्र, पन्नाराम एवं प्रेम कुमार को ऋण सुविधा के रूप में राशि 2.00/- लाख रुपये के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 21.08.2020 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 16.10.2023 तक की बकाया राशि 1,83,625/- रुपये थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र एवं पन्नाराम द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नं. 11, बुक नं. 29 (क्षेत्रफल 150 सक्वायर यार्ड), गांव सरदारपुरा खरथा, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर एवं पट्टा नं. 37, बुक नं. 09, संकल्प नं. 07, (क्षेत्रफल 150 सक्वायर यार्ड), सरदारपुरा खरथा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।


जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर



सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण सुरेन्द्र, पन्नाराम एवं प्रेम कुमार को ऋण सुविधा के रूप में राशि 2.00/- लाख रुपये (अखरे रुपये दो लाख मात्र) की स्वीकृति दिनांक 19/21.08.2020 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 11, बुक नं. 29 (क्षेत्रफल 150 सक्वायर यार्ड), गांव सरदारपुरा खरथा, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर एवं अप्रार्थी पन्नाराम ने अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 37, बुक नं. 09, संकल्प नं. 07, (क्षेत्रफल 150 सक्वायर यार्ड), सरदारपुरा खरथा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 08.06.2023 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक ऋण की एवज में अप्रार्थी सुरेन्द्र एवं पन्नाराम की अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नं. 11, बुक नं. 29 (क्षेत्रफल 150 सक्वायर यार्ड), गांव सरदारपुरा खरथा, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर एवं पट्टा नं. 37, बुक नं. 09, संकल्प नं.

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

07, (क्षेत्रफल 150 सक्वायर यार्ड), सरदारपुरा खरथा तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 17.10.2023 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 17.10.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 19.10.2023 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है। जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने धारा 13(2) के नोटिस का प्रकाशन दो समाचर पत्रों दैनिक नवज्योति एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 19.11.2023 को करवाया है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नहीं करवाई है और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणियों सुरेन्द्र एवं पन्नाराम द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपत्तियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेंस बैंक लि. का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 स्वीकार किया जाता है और अप्रार्थी ऋणी सुरेन्द्र एवं पन्नाराम द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई अचल सम्पत्ति क्रमशः पट्टा नं. 11, बुक नं. 29 (क्षेत्रफल 150 सक्वायर यार्ड), गांव सरदारपुरा खरथा, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर एवं पट्टा

नं. 37, बुक नं. 09, संकल्प नं. 07, (क्षेत्रफल 150 सक्वायार यार्ड), सरदारपुरा खरस्था तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। सहायता उपलब्ध करवाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि उक्त बंधक रखी गई सम्पत्ति पर किसी भी न्यायालय में विवादित अथवा स्थगन से प्रभावित तो नहीं है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
श्री बंगानगर